



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रेस विज्ञप्ति

राजनांदगांव जून 2018। संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर का पत्र क्रमांक/253/दिनांक 04.05.2017 के निर्देश के परिपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत विकासखण्ड समन्वयक के संविदा पद पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है।

विज्ञापन का अवलोकन जिला पंचायत के वेब-साईट www.zprajnandgaon.gov.in पर किया जा सकता है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव में दिनांक 15.06.2018 तक किया जा सकता है। सूची जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)
राजनांदगांव दिनांक 01/06/2018

पृ.क्रमांक /2242/जि.पं./प्र.मं.आ.यो./2018-19
प्रतिलिपि-

- 1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
- 2 संचालक (PMAY-G) विकास आयुक्त कार्यालय छ.ग. नया रायपुर।
- 3 कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 4 संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, राजनांदगांव को विज्ञापन प्रकाशनार्थ।
- 5 श्री शैलेश बक्शी, कम्प्यूटर आपरेटर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- 6 कार्यालय सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

क्रमांक/2244/जि.पं./स्थापना/PMAY-G/2018-19

राजनांदगांव, दिनांक 01/06/2018

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 3282/आर 1760/22-1/2016 रायपुर दिनांक 22.10.2016 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर निम्नानुसार स्वीकृत पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है। स्वीकृत संविदा पदों में चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के निर्धारण के अनुक्रम पर जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर अधोलिखित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी, इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15/06/2018 को सायं 05:30 बजे तक निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एकमुश्त वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण																																				
1	विकास खण्ड रामन्वयक (जनपद स्तर पर) <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ग</th> <th>मुक्त</th> <th>महिला</th> <th>भूपू.सै.</th> <th>विक</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अना</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>अजजा</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>अजा</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>अपिव</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ग	मुक्त	महिला	भूपू.सै.	विक	योग	अना	0	0	0	0	0	अजजा	1	1	0	0	2	अजा	0	0	0	0	0	अपिव	0	0	0	0	0	योग	1	1	0	0	2	02	28080/-	1. प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. सिविल 2. शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव (छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 324/वि-6/प्र.म.आ.यो. -ग्रा. दिनांक 24.06.2017 के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 01 प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई. (सिविल) तथा शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव में शिथिलता प्रदान की गई है)	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 60 अंक
		वर्ग	मुक्त	महिला	भूपू.सै.	विक	योग																																		
अना	0	0	0	0	0																																				
अजजा	1	1	0	0	2																																				
अजा	0	0	0	0	0																																				
अपिव	0	0	0	0	0																																				
योग	1	1	0	0	2																																				
कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 40 अंक																																									

नियम एवं शर्तें:-

- छ.ग. शासन के नियमानुसार निःशक्तजन, महिला एवं भूपू.सै. के लिए उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिनांक 15/06/2018 तक भरे जा सकेंगे।
- आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूपू.सै./निःशक्तजन अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
- संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति दिनांक 31.03.2019 तक के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- आयुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर एवं शासन द्वारा समय-समय पर चयन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
- परिस्थिति वश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञापित पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।
- संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
- सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी से सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आयु सीमा- आवेदक की आयु दिनांक 01 जून 2015 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी।
- अजा./अजजा./पिछड़ा वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार / अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कदाचरण के आरोप में हटाये गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी, चयन के पात्र नहीं होंगे।
- विज्ञापित पद की पूर्ति हेतु यदि विज्ञापित पद संख्या से दस गुणा अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव का अंक जोड़कर वरियता सूची तैयार कर आरक्षण अनुसार एक पद के विरुद्ध 10 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण हेतु आहूत किया जायेगा। उम्मीदवार को कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर उसी आरक्षण वर्ग में वरियता सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जावेगी जिस आरक्षित वर्ग में उन्हें कौशल परीक्षा में बुलाया जायेगा।

14. कौशल परीक्षा में आरक्षण वाले बुलाये गये आवेदकों को उनके मेरिट सूची उसी आरक्षित वर्ग के अनुसार तैयार किया जायेगा, परन्तु अनारक्षित वर्ग में बुलाये गये आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाने की स्थिति में मेरिट के अनुसार आरक्षित वर्ग में लाभ दिया जायेगा।
15. अनुभव अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा यदि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं तो सेवा समाप्ति के कारण का नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुभव अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
16. प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन के संबंध में तथा विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

आवेदन करने हेतु अनुदेश :-

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 15/06/2018 /2018 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें न्यूनतम योग्यता के आधार पर आवेदक पंजीकृत हो। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करे।
3. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर दोनों आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
6. लिफाफे के ऊपर पद नाम एवं आरक्षण का प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
7. एक से अधिक पद पर आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन पत्र के साथ 5- रूपये की टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन में आवेदक का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
10. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
11. आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञापन जिला पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है। जिला पंचायत राजनांदगांव की वेबसाइट www.zprajnandgaon.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)

आवेदन पत्र

विकासखण्ड समन्वयक/लेखापाल के पद संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत- राजनांदगाँव (छ.ग.)
पिनकोड- 491441

आवेदक का
अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो।

विषय:- विज्ञापन क्र. दिनांक द्वारा विज्ञापित पदों में संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. जाति (अजा./अजजा/अपिव/सामान्य) जातिवर्ग.....
5. जन्मतिथि दिनांक माह वर्ष
6. 01.01.2018 को आयु दिनमाहवर्ष.....
7. स्थायी पता :
- दूरभाष क्र. :
8. पत्र व्यवहार का पता :
- राष्ट्रीयता :
9. मूल निवासी/जन्म स्थान :
10. आवेदक का शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							

12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं :
- जीवित पंजीयन क्रमांक :

13. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अनुभव संस्था का नाम	पद का नाम
अनुभव की अवधि	-
अनुभव का कार्यक्षेत्र	-

14. अन्य योग्यता एवं अनुभव

15. संलग्नो की सूची:-

- 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
- 7..... 8.....
- 9..... 10.....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम व पता)